सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Stock Holding Corporation of India • Gorakhpur

Certificate No.	:	IN-UP06994423434468R
Certificate Issued Date	:	09-Dec-2019 01:20 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ GORAKHPUR/ UP-GRK
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL0108317706874679R
Purchased by	:	M S AISSHPRA BUILDERS
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	ARAZI NO 50 NATHMALPUR GORAKHPUR
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	NAZMUDDIN AND OTHERS
Second Party	:	M S AISSHPRA BUILDERS
Stamp Duty Paid By	:	M S AISSHPRA BUILDERS
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	33,85,000 (Thirty Three Lakh Eighty Five Thousand only)

Please write or type below this line

Verified By

Lockled By

SR 0001894064

12019/19

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदे... 319

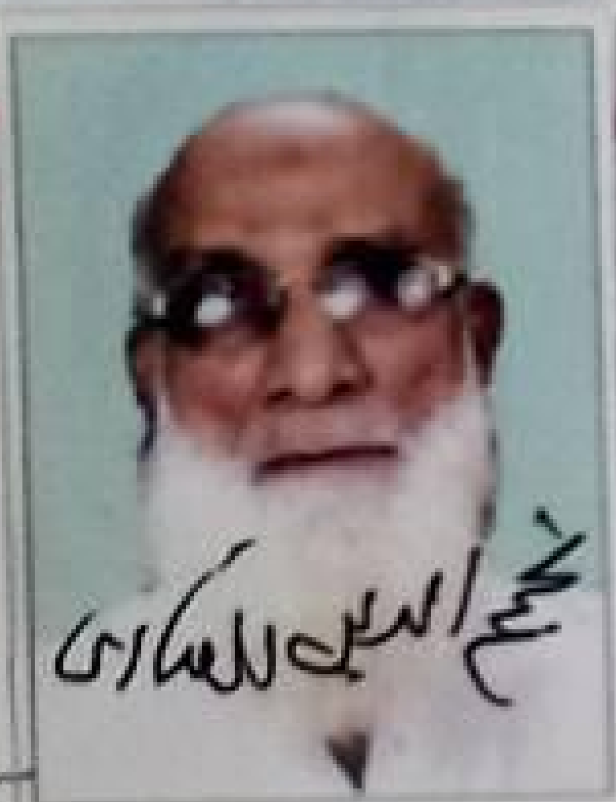

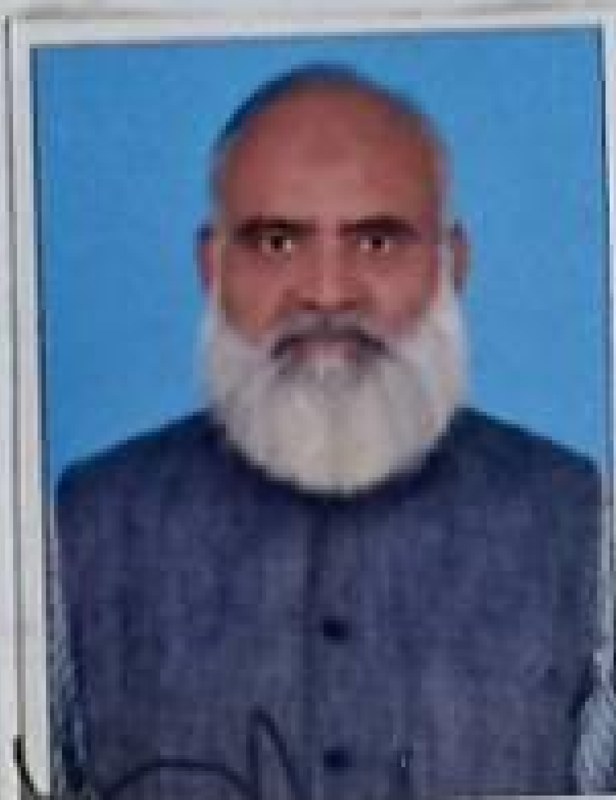

9453638910 7905102491 9335056346 7905864870

3305000/-

बिल्डर्स एग्रीमेन्ट

मुहल्ला—नथमलपुर

रकबा— 4470 वर्गमीटर

मूल्यांकन सूची का विवरण—

भाग— 2

प्रारूप— 4 क

Scanned by TapScanner

१४ला - ८ - १२ - २०१८ दि० १०१

पेसमि रस्था [illegible]

7705008253

9415210273

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA N... L

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH ... 1AE

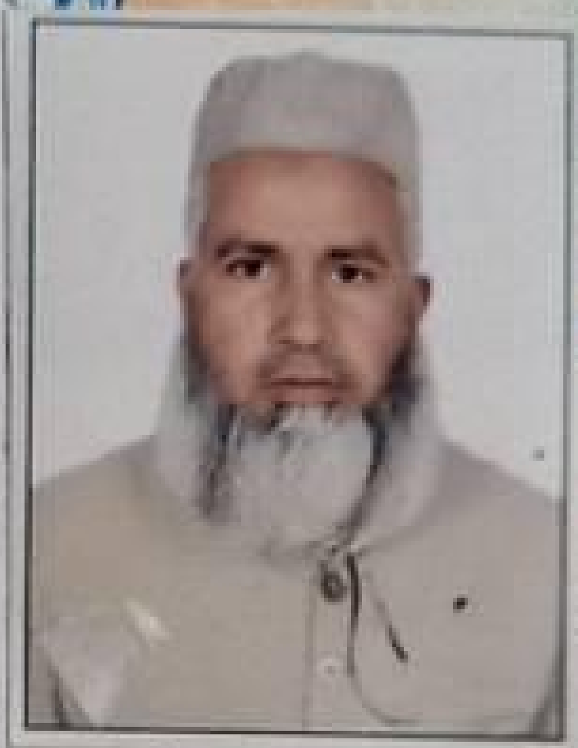

क्रम संख्या– 221

वी कोड– 0039

दर– रुपया 14000/–प्रति वर्गमीटर

प्रस्तर 28(1) के अनुसार 500 वर्गमीटर तक के रकबे हेतु प्रभावी दर रूपया 14000/–प्रति वर्गमीटर

प्रस्तर 28(2) के अनुसार 500 वर्गमीटर से 1000 वर्ग मीटर के रकबे तक हेतु प्रभावी दर रूपया 11900/–प्रति वर्गमीटर

प्रस्तर 28(3) के अनुसार 1000 वर्गमीटर से 2000 वर्ग मीटर तक रकबे हेतु प्रभावी दर रूपया 11200/–प्रति वर्गमीटर

प्रस्तर 28 (4) के अनुसार 2000 वर्ग मीटर से अधिक अवशेष क्षेत्रफल हेतु प्रभावी दर– रुपया 9800/– प्रति वर्ग मीटर

मूल्यांकन–

500 वर्गमीटर X रूपया 14000/– = रूपया 7000000/–

500 वर्गमीटर X रूपया 11900/– =रूपया 5950000/–

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 067817

1000 वर्गमीटर X रूपया 11200/— =रूपया 11200000/—

अवशेष 2470 वर्ग मीटर X रूपया 9800/— =रूपया 24206000/—

कुल मूल्यांकन रूपया 48356000/—

स्टैम्प ~~3385000/—~~ 38 80250/—

हम कि **नजमुद्दीन, फखरूद्दीन, कमरूद्दीन व मोईनुद्दीन** पुत्रगण स्व0 सआदत हुसैन निवासीगण—पुराना गोरखपुर, गोरखनाथ, जिला व शहर—गोरखपुर के हैं जिन्हे कि इस बिल्डर्स एग्रीमेन्ट में आगे भू—स्वामी/प्रथम पक्ष कहकर सम्बोधित किया गया है व **इफतेखारूद्दीन, रईसुद्दीन,** पुत्रगण स्व0 अमीरूद्दीन निवासीगण मोहल्ला—पुराना गोरखपुर गोरखनाथ, जिला व शहर—गोरखपुर के हैं, जिन्हे कि इस बिल्डर्स एग्रीमेन्ट में आगे समर्पक प्रथम पक्ष कहकर सम्बोधित किया गया है, जिसका अर्थ जब तक की उसे विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो भू—स्वामी/समर्पक स्वयं, उनके उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितों से लिया जावे।....**प्रथम पक्ष**

एवम्

Scanned by TapScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 067816

मेसर्स एस्प्रा बिल्डर्स बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर पार्टनर अतुल सराफ पुत्र बालकृष्ण सराफ निवासी गान्धी गली, गोलघर, शहर–गोरखपुर के हैं जिन्हे कि इस बिल्डर्स एग्रीमेन्ट में आगे बिल्डर्स/द्वितीय पक्ष कहकर सम्बोधित किया गया है, जिसका अर्थ जब तक कि उसे विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो बिल्डर स्वंय, उनके उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों एंव समनुदेशितों से लिया जावे। (फर्म के साझेदारों ने दिनांक 06/12/2019 को प्रस्ताव पारित कर/आपसी सहमति से साझीदार हम अतुल सराफ को इस बिल्डिर्स ऐग्रीमेन्ट को निष्पादित करने हेतु अधिकृत किया है।)..**द्वितीय पक्ष**

ज्ञात हो कि मौजा–नथमलपुर, तप्पा–कस्बा, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर में स्थित गाटा संख्या–50 कुल रकबा–0.894 हेक्टेयर में अपने हक व हिस्सा जानिब उत्तर के भूस्वामी प्रथम पक्ष नजमुद्दीन, फखरूद्दीन, कमरूद्दीन व मोईनुद्दीन पुत्रगण स्व0 सआदत हुसैन तनहा मालिकान हैं और इसी अनुसार भूस्वामी प्रथम पक्ष अपने स्वामित्व के कुल रकबा–0.4470 हेक्टेयर हस्ब तफसील व चौहद्दी जैल जो कि प्रत्येक प्रकार के स्वामित्व दोष,

Scanned by TapScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 067815

हस्तान्तरण दोष व प्रत्येक प्रकार के भारों व विवादों से पूर्णतया मुक्त है पर बतौर मालिकान के मालिकाना काबिज कायम चले आ रहें हैं और उन्हें अपने स्वामित्व व कब्जे की भूमि हस्ब तफसील व चौहद्दी जैल को प्रत्येक प्रकार से हस्तान्तरति करने व उसके सम्बंध में प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त है।

ज्ञात हो कि भूस्वामी प्रथम पक्ष अपने स्वामित्व व कब्जा की भूमि हस्ब तफसील व चौहद्दी जैल पर व्यवसायिक व आवासीय बहुमंजिली भवन का निर्माण कराना चाहते हैं ताकि भूस्वामी प्रथम पक्ष को अपने इस स्वामित्व व कब्जे की भूमि से वांछित लाभ प्राप्त हो सके जो कि उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। परन्तु ऐसे बहुमंजिली भवन के निर्माण कराने का अनुभव एवं निर्माण कराने में लगने वाले धन के अभाव में प्रथम पक्ष अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे व्यक्ति या फर्म अथवा कम्पनी के तलाश में रहे जो कि उचित शर्तों पर अपने स्वयं का धन लगाकर गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा

Scanned by TapScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 067825

स्वीकृत तथा अनुमन्य व्यवसायिक/आवासीय बहुमंजिली भवन का निर्माण करा सके।

ज्ञात हो कि भूस्वामी प्रथम पक्ष को यह पता चलने पर कि द्वितीय पक्ष इस प्रकार के व्यवसायिक व आवासीय भवनों के निर्माण कार्य बिल्डर एग्रीमेंट के माध्यम से तय शुदा/शर्तों पर अपने स्वंय के धन लगाकर करने का कारोबार करते हैं तो भूस्वामी प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके, द्वितीय पक्ष से अपनी इच्छा बताकर द्वितीय पक्ष से शर्तों को आमंत्रित किया, द्वितीय पक्ष ने भूस्वामी प्रथम पक्ष के स्वामित्व के कागजात का निरीक्षण तथा परीक्षण भूस्वामी प्रथम पक्ष द्वारा बतलाने के अनुसार अपने स्तर से करवाकर तथा भूमि हस्ब तफसील वो चौहद्दी जैल का भौतिक निरीक्षण करने के उपरान्त कागजात के अनुसार समर्पक प्रथम पक्षगण के जाहिर हो रहे अधिकारों को समाप्त करवा लेने व उनकी सहमति मिलने पर प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तावित अनुमन्य व्यवसायिक/आवासीय बहुमंजिली भवन का निर्माण अपने स्वंय के धन से कराने को सहमत तथा तैयार हुआ और आपस में यह तॅय पाया गया कि निमार्ण में

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 067824

लगाये गये धन के प्रतिफल में नवनिर्मित भवन में तयशुदा हिस्सा प्रथम पक्ष का होगा, तथा इसी प्रकार नवनिर्मित भवन में तयशुदा हिस्सा द्वितीय पक्ष को प्राप्त होगा।

ज्ञात हो कि भूस्वामी प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया और प्रस्ताव को प्रत्येक प्रकार से उचित व लाभकारी होना पाते हुए स्वीकार कर लिया।

ज्ञात हो कि अमीरूद्दीन पुत्र स्व0 शेख शहाबुद्दीन का गाटा संख्या–50 के किसी भी अंश रकबा पर स्वामित्वाधिकार व भौतिक कब्जा वर्ष 1975 से ही नहीं रह गया था अलबत्ता की राजस्व अभिलेखों में उनका नाम दर्ज चला आ रहा है। हम समर्पक प्रथम पक्ष इफ्तेखारूद्दीन, रईसुद्दीन पुत्रगण स्व0 अमीरूद्दीन जो स्व0 अमीरूद्दीन के उत्तराधिकारी हैं का भी गाटा संख्या–50 के किसी रकबा पर कभी भी स्वामित्वाधिकार तथा भौतिक कब्जा नहीं रहा है। गाटा संख्या–50 के रकबा हस्ब तफसील चौहद्दी जैल पर वर्ष 1975 से ही तनहा मालिकाना तथा भौतिक कब्जा भूस्वामी प्रथम पक्ष श्री नजमुद्दीन, फखरूद्दीन, कमरूद्दीन व

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 067823

मोईनुद्दीन पुत्रगण स्व0 सआदत हुसैन का रहा है और भूस्वामी प्रथम पक्ष का विषयांकित भूमि पर स्वामित्वाधिकार व कब्जा यथावत कायम चला आ रहा है। क्योकि हम समर्पकगण प्रथम पक्ष को अन्य स्थान पर हिस्सा मिला हुआ है, अतः हम समर्पकगण प्रथम पक्ष अपने हितों को अन्य स्थान के हिस्से में सुरक्षित करते हुये यह विलेख निष्पादित कर रहे है। भूस्वामी प्रथम पक्ष वो द्वितीय पक्ष के इत्मीनान के लिये हम समर्पक प्रथम पक्ष इस विलेख के पक्षकार हो रहें हैं।

ज्ञात हो कि भूस्वामी प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष के बीच आपसी सहमति से निम्नलिखित शर्तें तय हुई जिनकों दोनों पक्षकारों ने कबूल व मंजूर किया है और पाबंद रहने का एक दूसरे को वचन दिया है।

1. यह कि विषयांकित भूमि पर वाणिज्यिक/आवासीय बहुमंजिली भवन निर्माण करवाने के लिए यह एग्रीमेन्ट (बिल्डर्स एग्रीमेन्ट) पक्षकारों द्वारा आज दिनांक 09/12/2019 को निष्पादित किया जा रहा है।
2. यह कि प्रथम पक्ष इस विलेख के द्वारा द्वितीय पक्ष को यह अधिकार देते हैं कि द्वितीय पक्ष को वाणिज्यिक/आवासीय भवन निर्माण हेतु जिस भी

MAnsari

Scanned by TapScanner

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये रु.10
TEN RUPEES Rs.10
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 11AE 067822

विभाग/कार्यालय से अनुमति या अनापत्ति प्राप्त करने की जरूरत हो, उसे स्वयं अपने हस्ताक्षर से प्राप्त करें।

3. यह कि उभय पक्ष के मध्य यह तय पाया गया कि द्वितीय पक्ष द्वारा पूरा निर्माण एक ही चरण में करवाया जायेगा।

4. यह कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को भूमि हस्ब तफसील व चौहद्दी जैल पर कब्जा, गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर से मानचित्र स्वीकृत कराने तथा अनुमन्य वाणिज्यिक/आवासीय भवन निर्माण हेतु, हस्तगत कर दिया है।

5. यह कि द्वितीय पक्ष भूमि हस्ब तफसील व चौहद्दी जैल पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर से स्वीकृत तथा अनुमन्य मानचित्र के अनुरूप अपने स्वंय के खर्चे से भूस्वामी प्रथम पक्ष के नाम से मानचित्र तैयार करवा कर उसे गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर से स्वीकृत करावेंगे तथा इससे सम्बंधित जो भी अनुमति वो अनापत्ति जिस भी विभाग, अभिकरण से हासिल करना आवश्यक होगा वो भी अपने स्वयं के धन से प्राप्त करेंगे

MAnsari

Scanned by TapScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 067821

तथा सबकी तरफ से **रेरा** सम्बन्धी समस्त औपचारिकताओं को मेसर्स एस्रा बिल्डर्स बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर के द्वारा पूरा किया जायेगा व प्रथम पक्ष के द्वारा धन के सहयोग को छोड़कर जो भी अन्य सहयोग व लिखित सहमति इत्यादि की आवश्यकता होगी को बिना किसी भी विलम्ब के प्रदान करेंगे। साथ ही साथ यह भी तय पाया गया कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर से प्रथम चरण से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण प्रारम्भ कर दिया जायेगा तथा पुनः द्वितीय चरण के नियमानुसार संशोधित मानचित्र स्वीकृत होने के बाद आगे का निर्माण करवाया जायेगा।

6. यह कि द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि इस विलेख के अनुसार जो भी हिस्सा द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो रहा है, उसे स्वयं बेचे, किराये पर दें, स्वयं उपयोग करे या जो चाहे सो करे व उक्त के बावत सम्बन्धित समस्त विलेख आदि स्वयं द्वितीय पक्ष निष्पादित करें।

7. यह कि द्वितीय पक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर से मानचित्र स्वीकृति एवं अन्य वांछित अनुमति व अनापत्ति प्राप्त करने की तिथि से

M Ansari

Scanned by TapScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 067814

अंदर 4 वर्षों में व्यवसायिक/आवासीय बहुमंजिली भवन का निर्माण अपने स्वंय के धन से पूरा करा देवेंगे अलबत्ता कि किन्हीं दैविक आपदा अथवा किन्ही कारण अथवा किन्ही ऐसे कारण जो द्वितीय पक्ष के वश के बाहर का हो निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाने के कारण निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पावेगा तो प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष आपसी लिखित सहमति से माकूल समय सीमा में वृद्धि कर देवेंगे।

8. यह कि निर्माण कार्य के दौरान प्रथम पक्ष को निर्माण कार्य को स्वंय अथवा अपने इन्जीनियर के जरिए देखते रहने व उसकी गुणवत्ता का परीक्षण करने व कराते रहने व आवश्यक सुझाव द्वितीय पक्ष को देने का अधिकार प्राप्त रहेगा परन्तु प्रथम पक्ष को निर्माण को रूकवाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं रहेगा।

9. यह कि यदि निर्माण के दौरान अथवा निर्माण सम्बन्धित कभी भी कोई दुर्घटना घटित होगी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी।

Scanned by TapScanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10 — भारत — सत्यमेव जयते — INDIA — TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 11AE 067813

निर्माण सम्बन्धित हर प्रकार के भुगतान की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

10. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा व्यवसायिक/आवासीय बहुमंजिली भवन के निर्माण के सम्बंध में गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार एक्सेलेटर व लिफ्ट की भी व्यवस्था अपने स्वंय के धन से कराना होगा।

11. यह कि प्रस्तावित भवन निर्माण में किसी बार व सिनेमा हाल का निर्माण नहीं कराया जायेगा।

12. यह कि प्रस्तावित बहुमंजिली भवन के कामन उपयोग वाले स्थान जैसे कामन पैसेज, सेट बैक, सीढी इत्यादि का प्रयोग संयुक्त रूप से भूस्वामी प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष एवं उनके अंतरियों व किरायेदारों द्वारा समान रूप से किया जावेगा और किसी के भी द्वारा कामन उपयोग के स्थान पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण या संयुक्त रूप से उपयोग में कोई व्यवधान किसी भी तरीके का उत्पन्न नहीं किया जायेगा। अगर कोई भी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 067828

अंतरिती वो किराएदार बहुमंजिली भवन के कामन उपयोग वाले स्थान में अतिक्रमण करता है तो भूस्वामी प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष को अतिक्रमण को हटवाने का पूरा–पूरा अधिकार कायम होगा।

13. यह कि प्रस्तावित बहुमंजिली भवन के निर्माण के सम्बन्ध में कामन एरिया में बिजली की वायरिंग व पानी की टंकी व ट्रांसफार्मर की उचित व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा कराया जायेगा। व्यवसायिक दुकानों का फर्श साधारण कराया जावेगा व आवासीय भवन का फर्श अच्छे गुणवत्ता के टाईल्स का बनाया जायेगा तथा कामन उपयोग के स्थान जैसे पैसेज, सीढी वगैरह में भी अच्छे गुणवत्ता के टाईल्स अथवा मार्बल अथवा ग्रेनाईट लगाया जायेगा तथा दुकानों में लोहे/एल्यूमुनियम/अन्य का शटर द्वितीय पक्ष द्वारा अपने खर्चे से लगाया जायेगा एवं बिल्डिंग के कामन एरिया की कलरिंग व एल जी एफ की दुकानों में टाइल्स भी द्वितीय पक्ष द्वारा अपने खर्चे से कराया जायेगा।

14. यह कि बेसमेंट पार्किंग का उपयोग भूस्वामी प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष द्वारा तथा उनके अन्तरियों एवं बसाये गये किरायेदारों द्वारा संयुक्त रूप से किया

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 067811

जायेगा तथा इस सम्बंध में द्वितीय पक्ष तथा भूस्वामी प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति अथवा एजेन्सी या सोसाईटी द्वारा जो भी पार्किंग शुल्क समय समय पर निर्धारित किया जायेगा तथा कामन उपयोग के स्थान के रख रखाव हेतु जो शुल्क समय समय पर निर्धारित किया जायेगा के अदायगी की जिम्मेदारी सभी अध्यासियों व भूस्वामी प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष जो अपना अपना हिस्सा अपने पास रखेंगे की अपने–अपने अध्यासन के क्षेत्रफल के अनुसार माह दर माह कायम रहेगी और अदायगी न करने पर इन सुविधाओं को प्राप्त करने व उपयोग करने के उस समय तक अधिकारी नहीं रहेंगे जब तक कि कुल बकाया मद तथा समय समय पर निर्धारित विलम्ब शुल्क न अदा कर दिया जाये।

15. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा कामन एरिया के समुचित स्थान पर जनरेटर लगाकर कनेक्शन देने की सुविधा प्रदान की जायेगी, जिससे मात्र कामन उपयोग वाले स्थानों में आपूर्ति की जायेगी।

Scanned by TapScanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 067810

16. यह कि नवनिर्मित भवन के एल0जी0एफ0 का सम्पूर्ण कारपेट एरिया प्रथम पक्ष को मिलेगा जबकि यू जी एफ का सम्पूर्ण कारपेट एरिया द्वितीय पक्ष को प्राप्त होगा। साथ ही साथ यह तय पाया गया कि एल0जी0एफ0 का जो एरिया यू0जी0एफ0 की तुलना में अधिक/अतिरिक्त है उसके एवज में (अतिरिक्त एरिया के बराबर एरिया) फर्स्ट फ्लोर पर भी द्वितीय पक्ष को हिस्सा प्राप्त होगा, अलावा इसकें फर्स्ट फ्लोर का शेष कारपेट एरिया प्रथम पक्ष को प्राप्त होगा। सेकेन्ड फ्लोर के निर्मित भाग का सम्पूर्ण हिस्सा द्वितीय पक्ष को प्राप्त होगा।

17. यह कि उपरोक्तानुसार प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष को प्राप्त होने वाले हिस्सों को संलग्न मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है जिसमें द्वितीय पक्ष को प्राप्त होने वाले हिस्से को नीले रंग व अक्षर "B" से दर्शाया गया है जबकि प्रथम पक्ष के नजमुद्दीन को प्राप्त होने वाले हिस्से को फिरोजी रंग व अक्षर "N" से दर्शाया गया है व फखरुद्दीन को प्राप्त होने वाले हिस्से को लाल रंग व अक्षर "F" से दर्शाया गया है व कमरुद्दीन को प्राप्त

Scanned by TapScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 067809

होने वाले हिस्से को पीला रंग व अक्षर "Q" से दर्शाया गया है व मोइनुद्दीन को प्राप्त होने वाले हिस्से को पिंक रंग व अक्षर "M" से दर्शाया गया है।

18. यह कि प्रथम पक्ष या द्वितीय पक्ष द्वारा अपने अपने हिस्से को भविष्य में किराये पर दिया जाता है या विक्रय किया जाता है तो आवश्यकतानुसार अगल बगल के छज्जे को, एफ ए आर में रहने की दशा में, किराये पर दिये जाने वाले परिसम्पत्तियों या विक्रित परिसम्पत्तियों में शामिल किया जा सकता है।

19. यह कि नवनिर्मित बहुमंजिली व्यवसायिक भवन में आपसी सहमति से उपरोक्त तय हिस्से के अनुसार इस विलेख के साथ संलग्न नक्शा नजरी में फिरोजी, लाल, पीला व पिंक रंग से प्रदर्शित भाग के प्रथम पक्ष तनहा मालिक होंगे तथा अपने द्वारा निर्माण में लगाये धन के प्रतिफल में संलग्न नक्शा नजरी में नीले रंग से प्रदर्शित भाग के द्वितीय पक्ष पूर्णतः मालिक हो जावेंगे और जिसे बतौर पूर्णतः मालिक के प्रत्येक प्रकार से अन्तरित करने

Scanned by TapScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 067808

व किरायेदारी पर देने एवं स्वंय अध्यासित रहने का पूर्णतः अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त रहेगा तथा उसके स्वामित्व वो कब्जा से किसी भी प्रकार का कोई वास्ता व सरोकार भूस्वामी प्रथम पक्ष का नहीं रह जायेगा तथा इसी प्रकार फिरोजी, लाल, पीला व पिंक रंग से प्रदर्शित हिस्सा के मालिक भूस्वामी प्रथम पक्ष हो जावेंगे और भूस्वामी प्रथम पक्ष को अपने स्वामित्व के व्यवसायिक भवन को बहैसियत मालिकान के प्रत्येक प्रकार से अन्तरित करने, किराये पर उठाने अथवा स्वंय के अध्यासन में रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त रहेगा और भूस्वामी प्रथम पक्ष के उपरोक्तानुसार स्वामित्व व कब्जे से द्वितीय पक्ष का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहेगा।

20. यह कि सम्पूर्ण व्यवसायिक/आवासीय निर्माण में प्रथम पक्ष को प्राप्त होने वाले अंश के स्वामित्व तथा मालिकाना कब्जा में लगभग 20.5% निर्माण प्रथम पक्ष के नजमुद्दीन को प्राप्त होगा तथा लगभग 26.5% निर्माण फखरूद्दीन को प्राप्त होगा तथा लगभग 26.5% निर्माण कमरूद्दीन को प्राप्त होगा तथा लगभग 26.5% निर्माण मोइनुद्दीन को प्राप्त होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 067807

21. यह कि बिल्डर एग्रीमेन्ट के निष्पादन व पंजीकृत कराने में जो भी खर्च आवेगा उसे द्वितीय पक्ष द्वारा ही वहन किया जायेगा।

22. यह कि विदित हो कि निर्मित बहुमंजिली व्यवसायिक काम्पलेक्स को **"चौधरी एस0एस0एच0 माल"** के नाम से पुकारा जायेगा।

23. यह कि द्वितीय पक्ष ने हम प्रथम पक्ष को यह विश्वास दिया है कि निर्माण कार्य शुरु होने से 3 वर्ष के अन्दर सम्पन्न हुआ निर्माण पूर्णतया मार्केटिंग योग्य हो जायेगा।

24. यह कि वर्तमान में द्वितीय पक्ष द्वारा अनुमन्य मानचित्र के अनुसार भवन का निर्माण करवाया जायेगा किन्तु द्वितीय पक्ष द्वारा भवन के निर्माण हेतु भवन की नींव इस प्रकार से तैयार करवायी जायेगी कि उसपर भविष्य में छः मंजिल से अधिक के भवन का निर्माण हो सके और साथ ही साथ यह भी तय पाया गया कि भविष्य में अतिरिक्त मंजिल के निर्माण की अनुमति प्राप्त होने पर होने वाले निर्माण में 40 प्रतिशत निर्माण के स्वामी प्रथम पक्ष व 60 प्रतिशत निर्माण के स्वामी द्वितीय पक्ष रहेंगे।

Scanned by TapScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 067806

25. यह कि प्रश्नगत भूमि जिसपर भवन का निर्माण होना है, के सम्बन्ध में कोई स्वत्व व स्वामित्व सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता है और जिसके फलस्वरुप किसी तीसरे पक्ष का कोई क्लेम सृजित होता है तो ऐसे किसी क्लेम के निस्तारण या देनदारी की एकमात्र जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी और साथ ही साथ यह तय पाया गया कि ऐसे किसी क्लेम की भरपाई आदि नवनिर्मित भवन में प्रथम को प्राप्त होने वाले हिस्से से ही की जायेगी तथा ऐसे किसी भी दशा में द्वितीय पक्ष या द्वितीय पक्ष को प्राप्त होने वाला हिस्सा दायित्वाधीन नही रहेगा।

26. यह कि निर्माण से सम्बन्धित कोई प्रशासनिक या शासनिक आपत्ति आती है तो ऐसे आपत्ति को द्वितीय पक्ष द्वारा निस्तारित करवाया जायेगा और जिससे प्रथम पक्ष का कोई वास्ता सरोकार नही होगा।

27. यह कि आपसी सहमति से तय शर्तों के अनुसार द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को रूपया 5,50,00,000/— (पॉच करोड़ पचास लाख रूपये) बतौर एडवांस अदा करना तय पाया गया है और जिसके अनुक्रम में प्रथम पक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 067826

रुपया 1,20,00,000/— (एक करोड़ बीस लाख) को पहले ही जरिये चेक प्राप्त कर चुके है तथा रुपया 2,50,00,000/— (दो करोड़ पचास लाख रूपये) को प्रथम पक्ष आज विभिन्न चेक न0 002629, 002630, 002631, 002632, 002633, 002634, 002653 (जिसको प्रथम पक्ष के **नजमुद्दीन** ने प्राप्त किया) व चेक नं0 002635, 002636, 002637, 002638, 002639, 002640, 002654, (जिसको प्रथम पक्ष के **फखरूद्दीन** ने प्राप्त किया) व 002641, 002642, 002643, 002644, 002645, 002646, 002655 (जिसको प्रथम पक्ष के **कमरूद्दीन** ने प्राप्त किया) व 002647, 002648, 002649, 002650, 002651, 002652, 002656 (जिसको प्रथम पक्ष के **मोईनुद्दीन** ने प्राप्त किया) के माध्यम से प्राप्त कर चुके है है व मानचित्र स्वीकृत होने पर शेष रुपया 1,80,00,000/— (एक करोड़ अस्सी लाख) का चेक प्रथम पक्ष प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ उभय पक्ष के मध्य यह तय पाया गया कि एडवांस की उक्त धनराशि रुपया 5,50,00,000/— (पाँच करोड़ पचास लाख रूपये) को भवन निर्माण पूरा होने के एक माह के अन्दर या मानचित्र

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 067804

स्वीकृत होने के 4 साल के अन्दर, जो भी पहले होगा, प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को जरिये चेक/पेआर्डर/आर0टी0जी0एस0 वापस कर दिया जायेगा।

28. यह कि यदि किसी दशा में उक्त तय समयावधि में एडवांस की रकम रूपया 5,50,00,000/– (पॉच करोड़ पचास लाख रूपये) को प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस नही किया जाता है तो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि द्वितीय तल के उपर के तलों का मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण करवाकर प्रथम पक्ष के हिस्से का 40 प्रतिशत को खुद बेंचकर प्राप्त प्रतिफल से अपने एडवांस की रकम की वसूली कर लेंवे।

29. यह कि भविष्य में शुद्धिपत्र या अनुपूरक विलेख निष्पादित करने की जरुरत होगी तो ऐसे शुद्धिपत्र व अनुपूरक विलेख को पक्षकार प्रथम पक्ष भूस्वामी व पक्षकार द्वितीय पक्ष ही निष्पादित करेंगे, ऐसे शुद्धिपत्र व अनुपूरक विलेख के निष्पादन से पक्षकार प्रथम पक्ष समर्पक से कोई वास्ता सरोकार नही रहेगा। इसी प्रकार जी डी ए व अन्य विभाग से मानचित्र स्वीकृत कराने व

Scanned by TapScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 067827

अनापत्ति आदि हासिल करने में भी पक्षकार प्रथम पक्ष समर्पक की कोई भूमिका नही रहेगी।

30. यह कि हम समर्पक प्रथम पक्ष इफ्तेखारूद्दीन, रईसुद्दीन पुत्रगण स्व0 अमीरूद्दीन जो स्व0 अमीरूद्दीन के उत्तराधिकारी हैं का गाटा संख्या–50 से कोई वास्ता सरोकार नहीं है और इस बिल्डर्स एग्रीमेन्ट से समर्पक प्रथम पक्ष को भविष्य में कोई लाभ प्राप्त नही होना है व किसी भी तरह की जिम्मेदारी, टैक्स की देनदारी व जबाबदेही समर्पक की नही होगी।

31. यह कि भूमि जिस पर निर्माण कराने हेतु यह बिल्डर एग्रीमेन्ट निष्पादित किया जा रहा है का क्षेत्रफल– 48097.2 वर्गफीट यानी 4470 वर्गमीटर है जो पूरी तौर पर खुली भूमि है। प्रश्नगत भूमि 12 मीटर चौड़े रास्ते के किनारे है, प्रश्नगत भूमि किसी सेगमेन्टेड रोड पर नही है, किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। वर्तमान समय में प्रभावी मूल्यांकन सूची के भाग–2, प्रारूप– 4 क, क्रम संख्या– 221, वी कोड– 0039, दर– रुपया 14000/–प्रति वर्गमीटर व सामान्य निर्देश संख्या 28 के अनुक्रम में प्रश्नगत

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 067802

छप्पन हजार) पर द्वितीय पक्ष द्वारा अनुमन्य स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

इस प्रकार से पक्षकारों द्वारा यह बिल्डर एग्रीमेन्ट अपनी–अपनी स्वेच्छा व स्वस्थ्य बुद्धि से बिना किसी भी प्रकार के जोर व दबाव के निष्पादित कर दिया गया है कि समय पर काम आवे।

तफसील भूमि

खुली भूमि क्षेत्रफल– 48097.2 वर्गफीट (अड़तालीस हजार सत्तानबे दशमलव दो वर्ग फीट) यानी 4470 वर्गमीटर (चार हजार चार सौ सत्तर वर्गमीटर) अन्दर गाटा संख्या– 50 (पचास) स्थित मौजा–नथमलपुर, तप्पा–कस्बा, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर, अपने कुल हक व हिस्से के लिये प्रथम पक्ष ने यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट द्वितीय पक्ष के पक्ष में निष्पादित किया, जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है:–

चौहद्दी–पूरब – गाटा संख्या 51 स्वामीगण–नजमुद्दीन आदि।

पश्चिम – जमीन अहमद अम्मार।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 11AE 067801

उत्तर – सड़क 12 मीटर चौड़ी।

दक्षिण – जमीन व निर्माण इशरत जहाँ व कैफुलवरा व रजिउद्दीन व रुकुनुद्दीन वगैरह।

वाजा हो कि इस बिल्डर्स विलेख के साथ विषयांकित भूमि क्षेत्रफल– 4470 वर्गमीटर अन्दर आराजी नम्बरान– 50 स्थित मौजा–नथमलपुर, तप्पा–कस्बा, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर का रेखाचित्र संलग्न है। बिल्डर्स एग्रीमेन्ट के साथ संलग्न समस्त रेखाचित्र बिल्डर्स एग्रीमेन्ट का भाग होगा।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष **हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष**

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

A.T.O./T.O./C.T.O.

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 395866

यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट **मेसर्स एस्प्रा बिल्डर्स बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर** पार्टनर अतुल सराफ पुत्र बालकृष्ण सराफ निवासी गान्धी गली, गोलघर, शहर–गोरखपुर के पक्ष में निष्पादित किया गया।

Scanned by TapScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

भारत

रु. 10000

A.T.O./T.O./C.T.O.

Rs. 10000

DEC 2019

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 933279

यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट **मेसर्स एस्रा बिल्डर्स बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर पार्टनर अतुल सराफ पुत्र बालकृष्ण सराफ** निवासी गान्धी गली, गोलघर, शहर–गोरखपुर के पक्ष में निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

A.T.O./T.O./C.T.O.

नम्बर 0032

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 395882

यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट **मेसर्स एस्प्रा बिल्डर्स बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर पार्टनर अतुल सराफ पुत्र बालकृष्ण सराफ** निवासी गान्धी गली, गोलघर, शहर–गोरखपुर के पक्ष में निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 395881

यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट **मेसर्स एस्प्रा बिल्डर्स बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर पार्टनर अतुल सराफ पुत्र बालकृष्ण सराफ** निवासी गान्धी गली, गोलघर, शहर–गोरखपुर के पक्ष में निष्पादित किया गया।

Scanned by TapScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 395880

यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट **मेसर्स एस्प्रा बिल्डर्स बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर पार्टनर अतुल सराफ पुत्र बालकृष्ण सराफ** निवासी गान्धी गली, गोलघर, शहर–गोरखपुर के पक्ष में निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 395879

यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट **मेसर्स एस्प्रा बिल्डर्स बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर पार्टनर अतुल सराफ पुत्र बालकृष्ण सराफ** निवासी गान्धी गली, गोलघर, शहर–गोरखपुर के पक्ष में निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 395878

यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट **मेसर्स एस्प्रा बिल्डर्स बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर पार्टनर अतुल सराफ पुत्र बालकृष्ण सराफ** निवासी गान्धी गली, गोलघर, शहर–गोरखपुर के पक्ष में निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

A.T.O./T.O./C.T.O. D.C./C./O.C. 07 DEC 2018 कोषागार, गोरखपुर नम्बर 0032

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 395877

यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट **मेसर्स एस्प्रा बिल्डर्स बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर पार्टनर अतुल सराफ पुत्र बालकृष्ण सराफ** निवासी गान्धी गली, गोलघर, शहर–गोरखपुर के पक्ष में निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

A.T.O./T.O./S.T.C. D.C./A.C./S.C. 07 DEC 2018 कोषागार, गोरखपुर नम्बर 0032

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 395876

यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट **मेसर्स एस्प्रा बिल्डर्स बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर पार्टनर अतुल सराफ पुत्र बालकृष्ण सराफ** निवासी गान्धी गली, गोलघर, शहर–गोरखपुर के पक्ष में निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

A.T.O./T.O./C.T.O.

D.C.K. ... C.

कोषागार, गोरखपुर

नम्बर 0032

तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 395875

यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट **मेसर्स एस्प्रा बिल्डर्स बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर पार्टनर अतुल सराफ पुत्र बालकृष्ण सराफ** निवासी गान्धी गली, गोलघर, शहर–गोरखपुर के पक्ष में निष्पादित किया गया।

Scanned by TapScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

A.T.O./T.O./C.T.O.

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 395874

यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट **मेसर्स एस्प्रा बिल्डर्स बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर पार्टनर अतुल सराफ पुत्र बालकृष्ण सराफ** निवासी गान्धी गली, गोलघर, शहर–गोरखपुर के पक्ष में निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 395873

यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट **मेसर्स एस्प्रा बिल्डर्स बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर पार्टनर अतुल सराफ पुत्र बालकृष्ण सराफ** निवासी गान्धी गली, गोलघर, शहर–गोरखपुर के पक्ष में निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

A.T.O./T.O./C.T.O.
D.C./C.C./C.C.
कोषागार, गोरखपुर
नम्बर 0032

प्रदेश UTTAR PRADESH

H 395872

यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट **मेसर्स एस्प्रा बिल्डर्स बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर पार्टनर अतुल सराफ पुत्र बालकृष्ण सराफ** निवासी गान्धी गली, गोलघर, शहर–गोरखपुर के पक्ष में निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

A.T.O./T.O./C.T.O.

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 395871

यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट **मेसर्स एस्प्रा बिल्डर्स बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर पार्टनर अतुल सराफ पुत्र बालकृष्ण सराफ** निवासी गान्धी गली, गोलघर, शहर–गोरखपुर के पक्ष में निष्पादित किया गया।

Scanned by TapScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

A.T.O./T.O./C.T.O.

D.C./C./C.C.

07 DEC 2019

0032

तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 395870

यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट **मेसर्स एस्प्रा बिल्डर्स बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर पार्टनर अतुल सराफ पुत्र बालकृष्ण सराफ** निवासी गान्धी गली, गोलघर, शहर–गोरखपुर के पक्ष में निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

A.T.O./T.O./C.T.O.

07 DEC 2012

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 395869

यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट **मेसर्स एस्प्रा बिल्डर्स बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर पार्टनर अतुल सराफ पुत्र बालकृष्ण सराफ** निवासी गान्धी गली, गोलघर, शहर–गोरखपुर के पक्ष में निष्पादित किया गया।

Scanned by TapScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000

पच्चीस हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

A.T.O./T.O./C.T.O.

07 DEC 2019

नम्बर 0037

र प्रदेश UTTAR PRADESH

H 395868

यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट **मेसर्स एस्प्रा बिल्डर्स बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर पार्टनर अतुल सराफ पुत्र बालकृष्ण सराफ** निवासी गान्धी गली, गोलघर, शहर–गोरखपुर के पक्ष में निष्पादित किया गया।

Scanned by TapScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

A.T.O./C.T.O.

07 DEC 2019

H 395867

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट **मेसर्स एस्प्रा बिल्डर्स** बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर **पार्टनर अतुल सराफ पुत्र बालकृष्ण सराफ** निवासी गान्धी गली, गोलघर, शहर–गोरखपुर के पक्ष में निष्पादित किया गया।

Scanned by TapScanner

12/10/2019

74 क्रमांक 28000-10-12-2019-738

आवेदन सं०: 201900950038907

विक्रय अनुबंध विलेख (बिना कब्जा)

बही सं०: 1 , रजिस्ट्रेशन सं०: 12019 वर्ष: 2019

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 3850250 बाजारी मूल्य - 55000000 पंजीकरण शुल्क - 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 220 योग : 20220

श्री मे० एस्पा बिल्डर्स बलदेव प्लाजा गोरखपुर द्वारा
अतुल सराफ अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री बालकृष्ण सराफ
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: गान्धी गली, गोरखपुर

श्री, मे० एस्पा बिल्डर्स बलदेव प्लाजा गोरखपुर द्वारा अतुल सराफ अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 10/12/2019
एवं 04:04:23 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

28332

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

योगेन्द्र कुमार सिंह
उप निबंधक सदर प्रथम
गोरखपुर
10/12/2019

कमलेश प्रकाश श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक

Scanned by TapScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

A.T.O./T.O./C.T.O.

07 DEC 2019

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 395865

यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट **मेसर्स एस्प्रा बिल्डर्स बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर पार्टनर अतुल सराफ पुत्र बालकृष्ण सराफ** निवासी गान्धी गली, गोलघर, शहर–गोरखपुर के पक्ष में निष्पादित किया गया।

Scanned by TapScanner

738-

आवेदन सं॰: 201900950038907

बही सं॰: 1 रजिस्ट्रेशन सं॰: 12019 वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि क प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री नजमुद्दीन, पुत्र श्री स्व॰ सआदत हुसैन

निवासी: पुराना गोरखपुर, गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार

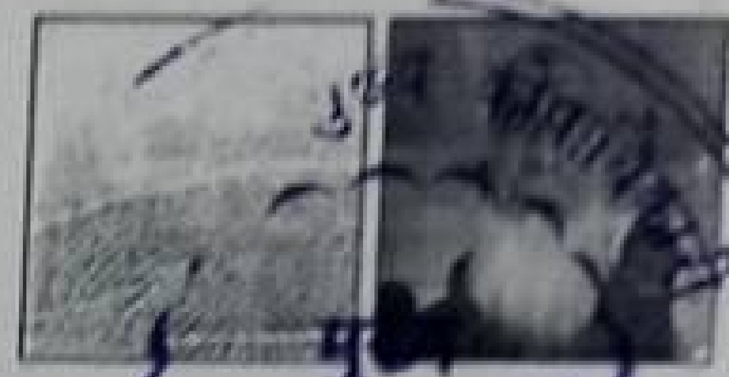

विक्रेता: 2

श्री फखरुद्दीन, पुत्र श्री स्व॰ सआदत हुसैन

निवासी: पुराना गोरखपुर, गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 3

श्री कमरुद्दीन, पुत्र श्री स्व॰ सआदत हुसैन

निवासी: पुराना गोरखपुर, गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 4

श्री मोईनुद्दीन, पुत्र श्री स्व॰ सआदत हुसैन

निवासी: पुराना गोरखपुर, गोरखपुर

व्यवसाय: सेवानिवृत

विक्रेता: 5

श्री इफ्तेखारुद्दीन, पुत्र श्री अमीरुद्दीन

निवासी: पुराना गोरखपुर, गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार

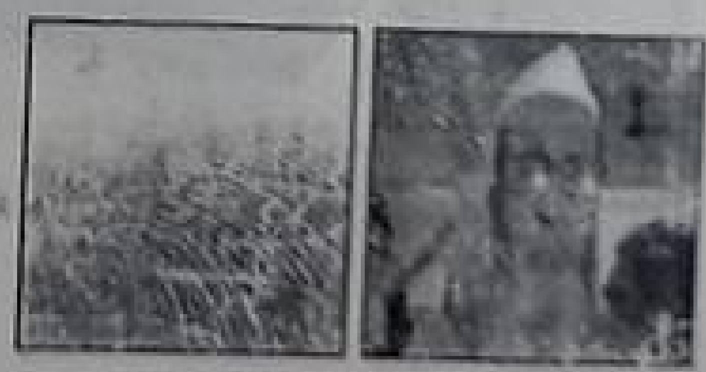

विक्रेता: 6

श्री रईसुद्दीन, पुत्र श्री अमीरुद्दीन

निवासी: पुराना गोरखपुर, गोरखपुर

व्यवसाय: नौकरी

क्रेता: 1

Scanned by TapScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

A.T.O./T.O./C.T.O.

Rs.5000

- 2 DEC 2019

FIVE THOUSAND RUPEES

DD 937433 DD 937433

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट **मेसर्स एस्प्रा बिल्डर्स बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर पार्टनर अतुल सराफ पुत्र बालकृष्ण सराफ** निवासी गान्धी गली, गोलघर, शहर–गोरखपुर के पक्ष में निष्पादित किया गया।

श्री मे० एस्प्रा बिल्डर्स बलदेव प्लाजा गोरखपुर के द्वारा
अतुल सर्राफ, पुत्र श्री बालकृष्ण सराफ

निवासी: गान्धी गली, गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री पवन कुमार सिंघानिया, पुत्र श्री दिनेश कुमार सिंघानिया

निवासी: पार्क रोड, गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार

पहचानकर्ता : 2

श्री मुहम्मद इसमतुल्लाह, पुत्र श्री हाफीज हेमायतुल्लाह

निवासी: जाफरा बाजार, गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

योगेन्द्र प्रताप सिंह
उप निबंधक : सदर प्रथम
गोरखपुर

कमलेश प्रकाश श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक

Scanned by TapScanner

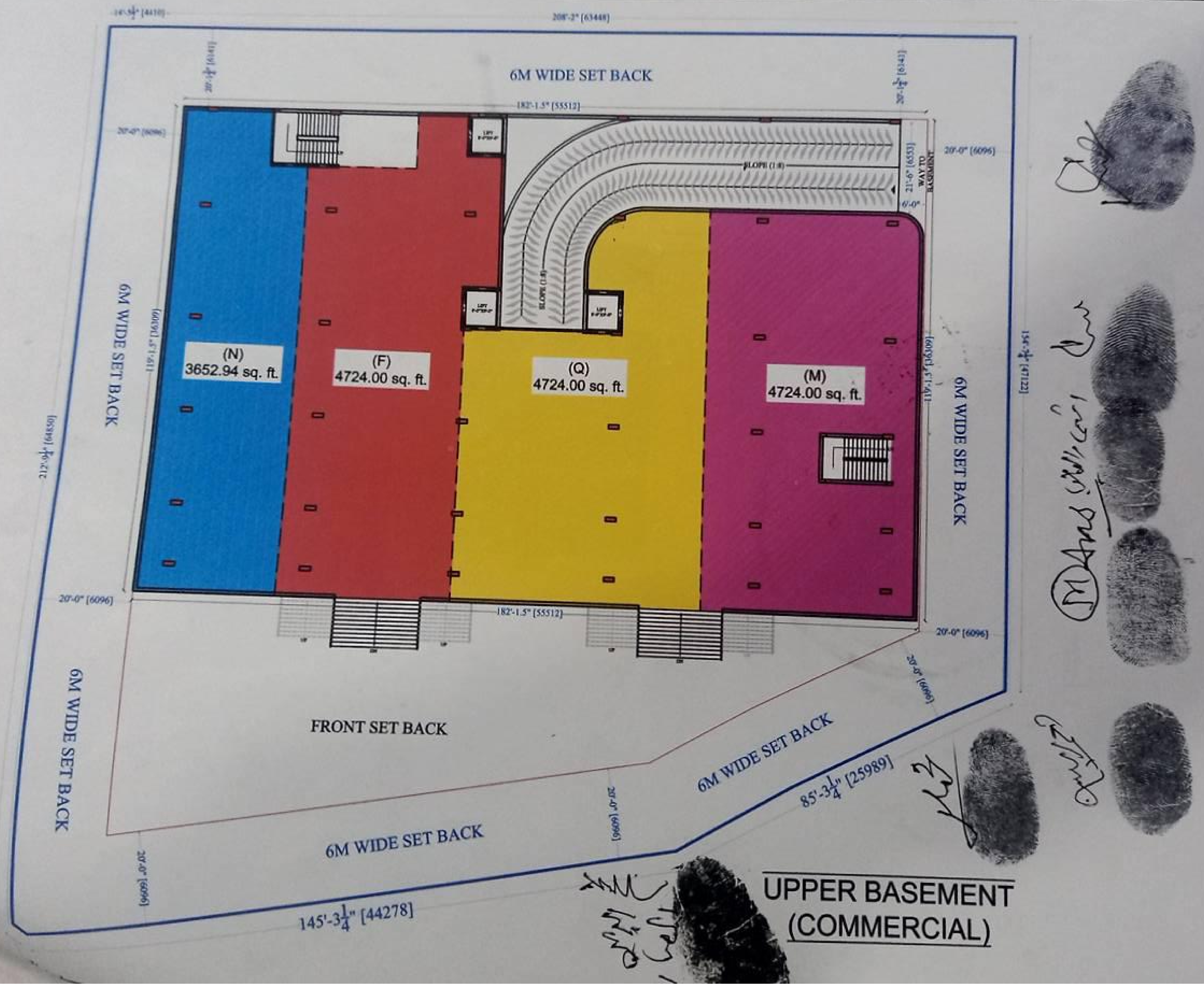

Scanned by TapScanner

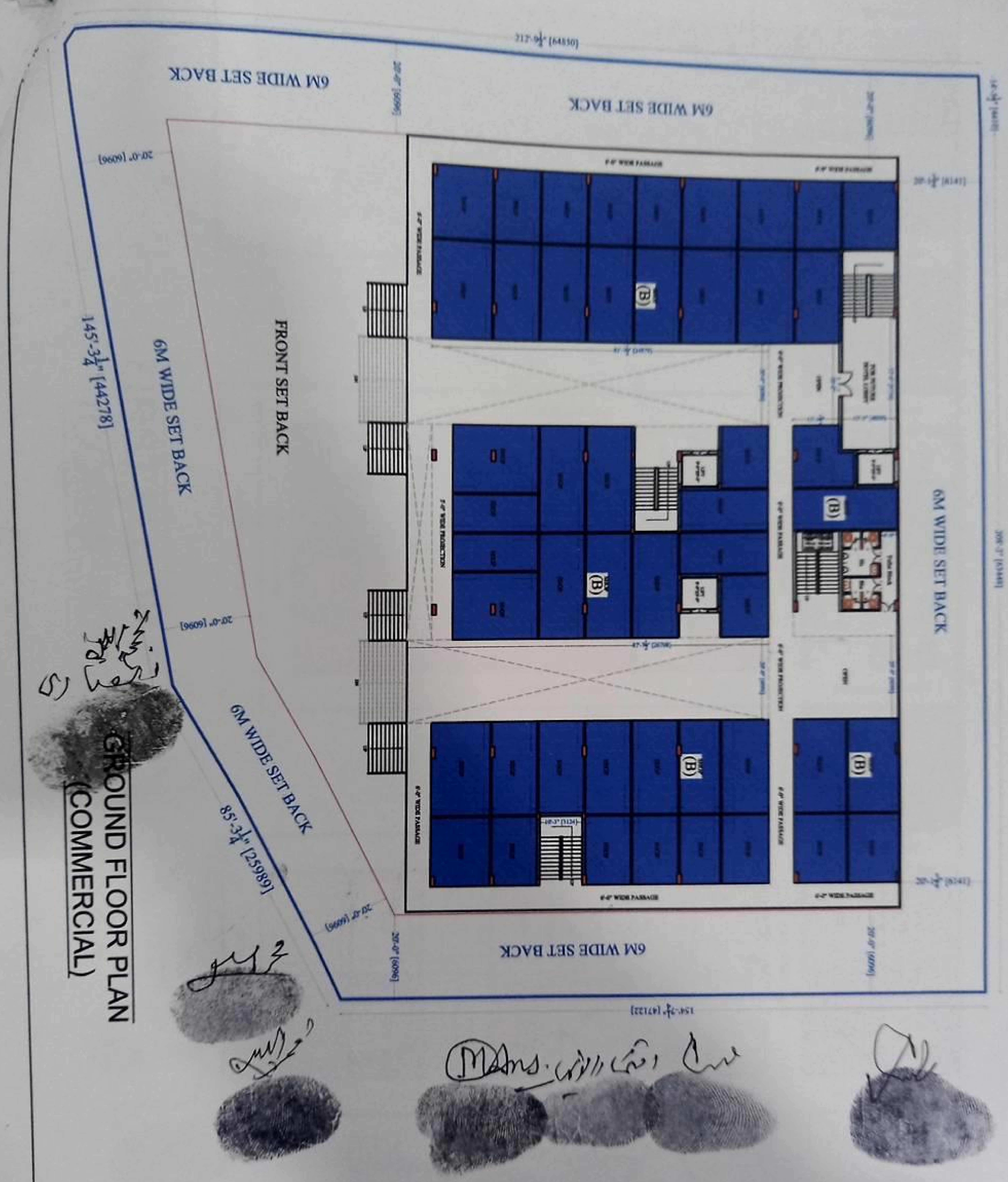

Scanned by TapScanner

FIRST FLOOR PLAN
(COMMERCIAL)

SECOND FLOOR PLAN (COMMERCIAL)

Scanned by TapScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 067820

साक्षीगण–

1– पवन कुमार सिंघानियाँ
पार्क रोड गोलघर गोरखपुर

2– मुहम्मद इस्मतुल्लाह S/o स्व. हाफिज हमायतुल्लाह
मु० इस्माईल चक, जाफराबाजार, गोरखपुर

प्रारूपकर्ता

अच्युतानन्द शुक्ल

एडवोकेट

दिनांक– 09/12/2019

Scanned by TapScanner

12/10/2019

आवेदन सं०: 201900950038907

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 15570 के पृष्ठ 1 से 100 तक क्रमांक 12019 पर दिनॉक 10/12/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

योगेन्द्र प्रताप सिंह

उप निबंधक : सदर प्रथम

गोरखपुर

10/12/2019